

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 110/2015

संस्थित दिनांक-21/04/14

फाईलिंग नंबर-230303016892014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. लल्ला उर्फ सोबरन सिंह पुत्र फौदल सिंह भदौरिया  
उम्र 44 साल
2. चन्द्रप्रकाश सिंह पुत्र सरनाम सिंह भदौरिया  
उम्र 47 साल निवासीगण विरगवां पुलिस थाना मेहगांव
3. बालिस्टर सिंह पुत्र पुनू सिंह राजावत उम्र 25 साल  
निवासी भारौली खुर्द पुलिस थाना भारौली जिला भिण्ड  
.....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक  
आरोपीगण द्वारा श्री केशव सिंह गुर्जर अधिवक्ता

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक 30/07/2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण चन्द्रप्रकाशसिंह, बालिस्टरसिंह, लल्ला उर्फ सोबरन सिंह के विरुद्ध धारा 400 भा0द0वि0 सहपठित धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम एवं धारा-402 भादवि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 17/12/2013 के 16:10 बजे निगोतिया पेट्रोल पम्प के सामने भिण्ड ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में डकैती की तैयारी की एवं डकैती के प्रयोजन से एकत्रित हुए तीनों व्यक्तियों में से अभियुक्त चन्द्रप्रकाश सिंह भदौरिया एवं लल्ला उर्फ सोबरन सिंह भदौरिया के आधिपत्य से क्रमशः एक-एक 32 बोर पिस्टल एवं दो-दो कारतूस 32 बोर एवं बालिस्टर सिंह राजावत के आधिपत्य से दो कारतूस 32 बोर अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के रखे पाये गये ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 17/12/2013 को निगोतिया पेट्रोल पम्प के सामने भिण्ड ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के

कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था, एवं यह भी स्वीकृत है कि आरोपीगण पर विचाराधीन मामले के अलावा अन्य भी आपराधिक मामले पंजीबद्ध हुए हैं।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दि०-17/12/13 को थाना प्रभारी गोहद चौराहा के पद पर पदस्थ उपनिरीक्षक गिरीश कुमार कवरेती को जरिये मुखबिर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व इनामी डकैत लल्ला भदौरिया, चन्द्रप्रकाश भदौरिया एवं बालिस्टर राजावत व उसके अन्य दो साथी ग्वालियर से स्कोर्पियो गाड़ी नंबर एम०पी०-30 बी०सी०-0384 से लूट व डकैती की वारदात करने की नियत से ग्वालियर की तरफ से आने वाले हैं। उक्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए हमराह मयफोर्स एवं शासकीय प्रायवेट वाहनों के निगोतिया पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तथा सड़क के दोनों ओर फोर्स लगाया, तभी ग्वालियर की तरफ से मुखबिर की सूचना अनुसार स्कोर्पियो गाड़ी क्रमांक एम०पी०-30 बी०सी०-0384 आती हुई दिखाई दी जिसमें पांच व्यक्ति बैठे हुए थे। पुलिस को देखकर वाहन की गति धीमी हो गयी तथा उसी समय उसमें से, पीछे बैठे दो व्यक्ति अचानक उतर कर भाग गए। फोर्स की मदद से उक्त स्कोर्पियो गाड़ी को घेराबंदी कर पकड़ा गया तो उसमें तीन व्यक्ति बैठे मिले जिनसे नाम पूछने पर बीच की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम लल्ला उर्फ सोवरन भदौरिया बताया जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक 32 बोर पिस्टल मिली जिसकी मेग्जीन में दो जिंदा राउण्ड तथा एक माइक्रोमेक्स कंपनी का मोबाइल जिसमें आइडिया की सिम लगी थी मिले। ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम चन्द्रप्रकाश भदौरिया बताया जिसकी तलाशी लेने पर एक 32 बोर पिस्टल जिसकी मेग्जीन में दो जिंदा राउण्ड 32 बोर के लगे हुए थे तथा एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल जिसमें आइडिया की सिम लगी हुई थी मिले। उक्त गाड़ी चालक से जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम बालिस्टर राजावत बताया जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से दो जिंदा राउण्ड 32 बोर एवं एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल जिसमें वीडियोकोन कंपनी की दो सिम डली थी मिला। उक्त व्यक्तियों से जब प्राप्त हुए हथियारों के लाइसेंस चाहे गए तो उन्होंने लाइसेंस ना होना बताया इस प्रकार उक्त व्यक्तियों द्वारा घातक हथियारों का प्रयोग करते हुए निगोतिया पेट्रोल पम्प के सामने भिण्ड ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड डकैती कारित करने की योजना बनाने की बात स्वीकार की।

4. मौके पर कार्यवाही करते हुए आरोपी लल्ला उर्फ सोवरनसिंह से एक 32 बोर की लोडेड पिस्टल जिसकी मेग्जीन में दो जिंदा राउण्ड लगे थे तथा एक माइक्रोमेक्स कंपनी का मोबाइल जिसमें आइडिया की सिम डली थी, आरोपी चन्द्र प्रकाश सिंह से एक 32 बोर लोडेड पिस्टल जिसकी मेग्जीन में दो जिंदा राउण्ड लगे थे तथा एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल जिसमें आइडिया की सिम डली थी तथा आरोपी बालिस्टरसिंह से दो जिंदा राउण्ड 32 बोर के तथा एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल और एक स्कोर्पियो गाड़ी को जिसका नंबर एम०पी०-30 बी०सी०-0384 था निगोतिया पेट्रोल पम्प के सामने भिण्ड ग्वालियर राष्ट्रीय

राजमार्ग अंतर्गत थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड जब्त किया तथा उन्हें मौके पर जब्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही करके थाना लाकर उनके विरुद्ध अपराध क्र. -289/13 धारा-399, 400, 402 भा0द0वि0 25, 27 आर्म्स एक्ट व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त लल्ला उर्फ सोवरनसिंह भदौरिया, चन्द्रप्रकाशसिंह भदौरिया एवं बालिस्टरसिंह राजावत पर 400, 402 भा0द0वि0 एवं 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने रंजिशन राजनीतिक दबाव के कारण झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से बचाव साक्ष्य में सूर्यप्रकाश पुत्र श्री सरनाम सिंह की साक्ष्य पेश की गई है।

6. प्रकरण में विरचित आरोपों के विचारण हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपीगण ने दिनांक 17/12/13 को दोपहर 4:10 बजे के करीब एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के प्रभावित रहते हुए भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर डाकूओं की टोली के रूप में संयुक्त रहने का कृत्य किया ?
- (2) क्या उक्त आरोपीगण उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के प्रभावशील रहते हुए निगौतिया पेट्रोल पंप के सामने डकैती डालने के अभियोजन से वे, तथा भागे गए व्यक्तियों के साथ एकत्रित हुए थे ?
- (3) क्या उक्त सुसंगत घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण अपने अधिपत्य व संज्ञान में वगैर वैध अनुज्ञाति के अवैध शस्त्र डकैती प्रभावित क्षेत्र होते हुए रखे पाये गये ?

**--निष्कर्ष के आधार :-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 3 का निराकरण**

7. उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त प्रकरण में अभियोजन के कथानक अनुसार इस आशय की घटना बताई गयी है, कि थाना प्रभारी गोहद चौराहे उपनिरीक्षक गिरीश कुमार कवरेती को मुखबिर से दिनांक 17/12/2013 को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी, कि पूर्व इनामी डकैत लल्ला भदौरिया अपने साथी चन्द्रप्रकाश सिंह भदौरिया एवं बालिस्टरसिंह राजावत के साथ स्कोर्पियो गाडी क्रमांक एम0पी0-30 बी0सी0-0384 से लूट कर डकैती करने के इरादे से हथियारों से लेस होकर

ग्वालियर तरफ से आने वाला है। जिस पर से रोजनामचा सान्हा क्रमांक 660 पर उसे अंकित कर सूचना की तस्दीख के लिए पुलिस बल के साथ शासकीय व प्रायवेट वाहनों से रोजनामचा सान्हा क्रमांक 661 पर रवानगी अंकित करते हुए निगौतिया पेट्रोल पंप के सामने पुलिस बल तैनात किया था। इस आशय का भी घटना क्रम बताया है कि रास्ते में आरोपीगण थानसिंह के होटल के पास चाय पीने के लिए रुके थे, जहां पर संजू तोमर साक्षी ने उन्हें गोहद चौराहे की तरफ लूट करने की बात-चीत करते हुए सुना था और जब आरोपीगण की स्कोर्पियो गाड़ी थाना प्रभारी और पुलिस बल के तैनात स्थान निगौतिया पेट्रोल पंप के सामने आयी तो चेकिंग की कार्यवाही संतोष शर्मा एवं इन्द्रभान सिंह साक्षी के समक्ष करना बतायी गयी, जिनके समक्ष ही आरोपीगण से अवैध शस्त्र, मोबाइल फोन व स्कोर्पियो गाड़ी आदि जब्त करना बताया गयी है। ऐसे में प्रकरण के लिए संजू तोमर, इन्द्रभानसिंह और संतोष शर्मा महत्वपूर्ण साक्षी हो जाते हैं। जिनकी साक्ष्य का सर्वप्रथम मूल्यांकन करना उचित होगा।

9. संजू तोमर (अ0सा0-4) के रूप में परीक्षित हुआ है, किंतु उसने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के कथानक का किसी दृष्टिकोण से समर्थन नहीं किया है। आरोपीगण को पहचानने, घटना के विषय में कोई जानकारी होने से उसने इन्कार किया है और अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गए सूचक प्रश्नों में उसने यह तो स्वीकार किया है, कि ग्राम खनेता के मौजा में मुंशीसिंह का पुरा स्थित है और उसके सामने थान सिंह तोमर का होटल है, किंतु इस बात से इन्कार किया है कि दिनांक 17/12/2013 को वह गोहद जा रहा था, तब उसने होटल के सामने सफेद स्कोर्पियो गाड़ी क्रमांक एम0पी0-30 बी0सी0-0384 में आरोपीगण लल्ला भदौरिया, चन्द्रप्रकाशसिंह, बालिस्टरसिंह व दो अन्य को बैठे हुए देखा जो सभी पेट्रोलपंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, साक्षी ने इस संबंध में पुलिस को प्र0पी0-3 का कथन देने से भी इन्कार किया है। इस तरह से थानसिंह के होटल पर आरोपीगण को पेट्रोलपंप लूटने व डकैती डालने की योजना के बारे में वार्तालाप करते सुने जाने की कड़ी का समर्थन उक्त साक्षी से प्राप्त नहीं है।

10. मौके की कार्यवाही इन्द्रभानसिंह (अ0सा0-6) एवं संतोष शर्मा (अ0सा0-8) के समक्ष की जाना बताया गया है, किंतु उक्त दोनों साक्षियों ने भी अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है और उक्त दोनों साक्षियों ने भी आरोपीगण को जानने-पहचानने से इन्कार करते हुए इस बात से भी इन्कार किया है कि उनके सामने किसी स्कोर्पियो गाड़ी को निगौतिया पेट्रोलपंप के पास रोका गया, जिसमें से रुकने के पूर्व ही दो व्यक्ति पीछे का गेट खोलकर भाग गए तथा शेष तीन आरोपीगण को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उनसे पिस्टल, कारतूस, मोबाइल आदि जब्त किये गये। दोनों साक्षियों ने प्र0पी0-4 लगायत प्र0पी0-10 के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर तो स्वीकार किए हैं, किंतु इस संबंध में इन्द्रभानसिंह का यह कहना रहा है कि वह निगौतिया पेट्रोलपंप के पास खड़ा था, वहां पर दरोगा जी ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे, उन पर क्या लिखा था उसकी उसे जानकारी नहीं है, दो अन्य व्यक्ति भी वहां खड़े थे, उनके भी हस्ताक्षर कराये थे तथा संतोष शर्मा का यह कहना रहा है कि जब वह गोहद चौराहे से निकल रहा था, तब पुलिस ने कोरे कागज



पर हस्ताक्षर करा लिये।

11. इस तरह दोनों साक्षियों ने प्र0पी0-4 लगायत प्र0पी0-10 के दस्तावेज मुताबिक बतायी कार्यवाही का समर्थन पक्ष विरोधी होते हुए नहीं किया है। सूचक प्रश्नों में भी अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य उक्त दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य में नहीं आयी है। इन्द्रभान सिंह ने पैरा-5 में अवश्य स्वीकार किया है कि वह हाईस्कूल पास है और वह जानता है कि किसी भी कागज पर पढ़कर हस्ताक्षर करना चाहिए, किंतु प्र0पी0-4 लगायत प्र0पी0-10 के बारे में यह कहना है कि पुलिस ने उसे कागजात पढ़ने नहीं दिये थे। आरोपीगण से पूर्व परिचय होने से भी उसने इन्कार किया है। इस तरह से उक्त साक्षियों ने भी अभियोजन का कतई समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा प्रकरण में अन्य परीक्षित साक्षी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी हो कर शासकीय सेवक है तथा अ0सा0-1 व अ0सा0-2 को छोड़कर शेष थाना गोहद चौराहे में पदस्थ रहे पुलिसकर्मी है। इसलिए उनके अभिसाक्ष्य का पंच साक्षियों के समर्थन नहीं करने से अत्यन्त सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता हो जाती है, किंतु बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन नहीं करने पर पुलिस साक्षियों पर इस कारण अविश्वास किया जाये कि वे आपस में हितबद्ध साक्षी है, क्योंकि स्वतंत्र साक्षी की अभिसाक्ष्य के बिना पुलिस साक्षीकर्म की साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में न्याय दृष्टांत गिरजा प्रसाद वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए० 0आई०आर० 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 3106** में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि बिना अच्छे आधारों के पुलिस कर्मचारीगण के साक्ष्य पर संदेह किया जाना अच्छी परिपाटी नहीं है और स्वतंत्र साक्षी की अभिसाक्ष्य के बिना भी पुलिस साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य न्यायिक दृष्टांत **नाथूसिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए० 0आई०आर० 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 2783** में यह प्रतिपादित किया है कि पंच साक्षीगण के पक्ष विरोधी हो जाने पर भी शेष साक्षीगण जो पुलिस के कर्मचारीगण है उनकी साक्ष्य को इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि वे पुलिस कर्मचारी है।

12. ए०एस०आई० सुरेश मिश्रा (अ०सा०-7) ने प्र०पी०-12 रोजनामचा सान्हा के संबंध में अभिसाक्ष्य देते हुए यह बताया है कि दिनांक 17/12/2013 को वह थाना गोहद चौराहे पर पदस्थ था। थाना प्रभारी गिरीश कवरेती को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि फरारी बदमाश लल्ला भदौरिया अपने साथियों के साथ मय हथियारों के रोड़ किनारे निगौतिया पेट्रोल पंप पर वारदात करने के इरादे से आ रहा है, तब थाने से दरोगा जी ने उसे, ए०एस०आई० तोमर, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह, नायकसिंह, किशनलाल, ब्रजराज, उरदयाल, आरक्षक उदयसिंह जितेन्द्रसिंह, मूलचंद, अजीत, मनोज शुक्ला, उमेश, और राजेश को सूचना से अवगत कराते हुए मय विवेचना किट के शासकीय वाहन क्रमांक एम०पी०-03 ए-1406 तथा शासकीय व प्रायवेट मोटर साइकिल से चेकिंग के लिए निगौतिया पेट्रोलपंप के सामने भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर रवाना हुए थे और सुरक्षा की दृष्टि से आर्म्स और एमुनेशन भी लिया था। साक्षी ने प्र०पी०-12 का रोजनामचा

सान्हा लेखबद्ध करना बताते हुए असल रोजनामचा सान्हा लाकर उसे प्रदर्शित कराया है। इस तरह से प्र०पी०-12 के रोजनामचा सान्हा मुताबिक पुलिस बल में जो पुलिसकर्मी गए उनमें से ए०एस०आई० ए०एस० तोमर प्रधान आरक्षक नायकसिंह, किशनसिंह, ब्रजराज, उरदयाल, तथा आरक्षकगण में से उदयसिंह, जितेन्द्र, मूलचंद, अजीत, उमेश, और राजेश अभियोजन की ओर से न तो साक्षी, अनुसंधान के दौरान बनाये गए और न ही उन्हें पेश किया गया। इसलिए इस संबंध में प्रधान आरक्षक राजेन्द्र (अ०सा०-3) आरक्षक मनोज शुक्ला (अ०सा०-5) ए०एस०आई० सुरेश मिश्रा (अ०सा०-7) और थाना प्रभारी गिरीश कवरेती (अ०सा०-9) ही परीक्षित हुए हैं, इसलिए उनके अभिसाक्ष्य का सावधानी पूर्वक और सूक्ष्मता से विश्लेषण करना आपेक्षित हो जाता है, किंतु बचाव पक्ष का यह तर्क कि पुलिसबल के सभी कर्मचारियों को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करने से अभियोजन का मामला संदिग्ध माना जाये, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

13. निरीक्षक गिरीश कवरेती (अ०सा०-9) के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि दिनांक 17/12/2014 को थाना गोहद चौराहे पर थाना प्रभारी के पद पर पदस्था था। तब उसे पूर्व इनामी डकैत लल्ला भदौरिया, चन्द्रप्रकाश भदौरिया, बालिस्टरसिंह राजावत व दो अन्य साथियों के साथ स्कोर्पियो गाडी क्रमांक एम०पी०-30 बी०सी०-0384 से लूट व डकैती करने के इरादे से हथियारों से लैस होकर ग्वालियर तरफ से आने की सूचना मुखबिर ने थाने पर आकर उसे दी थी। जिसे उसने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 660 पर अंकित कर उसकी तस्दीख हेतु रोजनामचा सान्हा क्रमांक 661 पर मय पुलिस बल के शासकीय एवं प्रायवेट वाहनों से रवानगी अंकित करते हुए निगौतिया पेट्रोल पंप के सामने वह पहुंचा था। पुलिस बल को आवश्यक समझाइश देकर पुलिस बल को लगाया गया था। तब मुखबिर की सूचना अनुसार स्कोर्पियो गाडी ग्वालियर से आती देखी थी, जिसमें पांच व्यक्ति बैठे थे, पुलिस को देखकर वाहन धीरे-धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा था, उसी समय पीछे से गेट खोलकर दो बदमाश भाग गए थे, शेष तीनों को पुलिस बल की मदद से पकड़ा गया था। वाहन में बीच की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम लल्ला उर्फ सोबरनसिंह भदौरिया बताया था। जिसकी उसने तलाशी ली थी, तो कमर में बायीं तरफ पैंट के नीचे लोडेड पिस्टल मिली थी, जिसकी मेग्जीन में दो जिंदा कारतूस एवं पैंट की जेब से माइक्रोमेक्स कंपनी का मोबाइल जिसमें आइडिया की सिम लगी थी मिला। जिसे उसने मौके पर ही उक्त आरोपी से प्रदर्श पी-8 का जब्तीपत्रक बनाकर जब्त किया था।
14. अ०सा०-9 ने यह भी कहा है कि स्कोर्पियो गाडी के चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम चन्द्रप्रकाशसिंह भदौरिया बताया था। जिसकी तलाशी लेने पर वह भी पैंट के नीचे कमर में बायीं तरफ 32 बोर पिस्टल व दो जिंदा कारतूस रखे थे। पैंट की दूसरी जेब में सैमसंग कंपनी का मोबाइल मिला था। जिसे प्रदर्श पी-9 का जब्तीपत्रक बनाकर उक्त आरोपी से जब्त किया गया था।
15. अ०सा०-9 ने इस आशय का भी अभिसाक्ष्य दी है कि जो व्यक्ति स्कोर्पियो गाडी चला रहा था, पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बालिस्टरसिंह

राजावत बताया था। जिसकी तलाशी लेने पर उसकी पैंट की दाहिनी जेब में दो 32 बोर के कारतूस मिले थे एवं पैंट की जेब में सैमसंग कंपनी का मोबाइल मिला था। जिसमें एयरटेल, एवं वीडियोकोन की दो सिमें पड़ी थीं। बालिस्टरसिंह राजावत से दो कारतूस, मोबाइल, स्कोर्पियो गाड़ी क्रमांक एम0पी0-30 बी0सी0-0384 को जब्त कर प्रदर्श पी0-10 का जब्तीपत्रक बनाकर जब्त किया था। उसका यह भी कहना है कि पकड़े गए तीनों उक्त आरोपियों ने भागे आरोपियों के नाम नहीं बताये थे और भागे गए आरोपियों का उसने पीछा नहीं किया था, क्योंकि जितना पुलिस बल उपलब्ध था, उससे पकड़े गए तीनों आरोपियों को ही पकड़ा गया था। पैरा-6 में उसका यह भी कहना है कि पूछताछ करने पर पकड़े गए आरोपियों ने हाईवे पर किसी पेट्रोल पंप पर लूट या डकैती डालने की योजना बनाकर आना बताया था और जो अवैध हथियार पकड़े गए थे उनको रखने का कोई वैध शस्त्र लाइसेंस नहीं पाया गया था। मौके पर सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर जब्ती, गिरफ्तारी कार्यवाही उसके द्वारा की जाना पैरा-19 में उसके द्वारा बताया गया है और तदोपरान्त उन्हें थाने लाकर प्र0पी0-14 की एफ0आई0आर0 उनके विरुद्ध लेखबद्ध कर अपराध क्रमांक 289/2013 धारा 400 भा0दं0वि0 एवं 25,27 आर्म्स एक्ट तथा 11,13 डकैती अधिनियम का अपराध दर्ज करना बताया है। आरोपीगण के गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-5 लगायत प्र0पी0-7 मौके पर ही तैयार करना साक्षी ने बताये है। मौके पर स्कोर्पियो वाहन की चेकिंग करने तथा आरोपियों को मय हथियारों और स्कोर्पियो गाड़ी के निगौतिया पेट्रोलपंप के सामने पकड़े जाने का समर्थन साथ में गए पुलिस बल के साक्षी प्रधान आरक्षक राजेन्द्रसिंह (अ0सा0-3) मनोज शुक्ला (अ0सा0-5), ए0एस0आई0 सुरेश मिश्रा (अ0सा0-7) ने भी अपने अभिसाक्ष्य में समर्थन करना बताया है। जो प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही का विवेचक भी है।

16. गिरीश कवरेती (अ0सा0-9) के अभिसाक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से प्रत्येक बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण में पूछे गये प्रश्नों का उसकी ओर से समुचित उत्तर देते हुए यह बताया है कि प्र0पी0-12 का रोजनामचा सान्हा 'असल' में समय अंकित किया गया है उसकी प्रतिलिपि प्र0पी0-12-सी में समय अंकित नहीं है। प्र0पी0-12-सी का रोजनामचा सान्हा की नकल ए0एस0आई0 सुरेश मिश्रा (अ0सा0-7) ने लेखबद्ध करना बताया है और उसने सहवन से समय अंकित न कर पाना बताया है। मूल रोजनामचा सान्हा जिसे भी साक्ष्य के दौरान पेश किया गया था, उसमें समय अंकित होना पाया गया था। ऐसे में प्र0पी0-12-सी में समय अंकित न हो पाना अभियोजन के मामले को संदिग्ध नहीं बनाता है और उससे बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए उसके संबंध में किया गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। अ0सा0-3, अ0सा0-5, अ0सा0-7 और अ0सा0-9 के अभिसाक्ष्य में इस बिन्दु पर समरूपता है कि मुखबिर की सूचना स्कोर्पियो गाड़ी में हथियारों से सुसज्जित होकर कुछ व्यक्तियों के ग्वालियर तरफ से आने की सूचना थाना प्रभारी को मिली थी। जिससे उन्हें अवगत कराया था और उसकी तस्दीख के लिए वे निगौतिया पेट्रोलपंप के सामने की तरफ मय आर्म्स एमुनेशन लेकर थाने से प्र0पी0-12 मुताबिक रवानगी दर्ज कर गये थे और स्कोर्पियो गाड़ी की चेकिंग की गयी थी। घटनास्थल के बनाये गये नक्शा मौका प्र0पी0-11 से भी उक्त साक्षियों के मौखिक अभिसाक्ष्य की पुष्टि होती है और प्र0पी0-11 का नक्शामौका, मौके की कार्यवाही करने वाले निरीक्षक गिरीश

कवरेती की निशांदाही पर अपराध पंजिबद्ध होने के पश्चात विवेचना करने वाले ए 0एस0आई0 सुरेश मिश्रा द्वारा की गयी है। घटनास्थल के संबंध में अ0सा0-3, अ0सा0-5, अ0सा0-7 और अ0सा0-9 के अभिसाक्ष्य में कोई तात्विक स्वरूप का विरोधाभाष परिलक्षित नहीं होता है, बल्कि आरोपीगण की ओर से जो बचाव साक्ष्य में सूर्यप्रकाश भदौरिया (ब0सा0-1) को पेश किया गया है उसके द्वारा भी यही बताया गया है कि घटना दिनांक 17/12/2013 को वह और आरोपीगण ग्वालियर से स्कोर्पियो गाडी से लौटे थे।

17. बचाव साक्षी का यह कहना है कि उस दिन उसकी ग्वालियर में न्यायालय में पेशी थी और उसका प्रकरण साक्ष्य में नियत था। तारीख करने के बाद वे लौट रहे थे तो गोहद चौराहे पर दिन के करीब 4 बजे कवरेती दरोगाजी ने उनकी गाडी को चेक किया था और तलाशी ली थी, फिर उसे जाने दिया था और आरोपीगण को रोक लिया था और यह कहा था कि पूछताछ करके थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे, बाद में दूसरे दिन उसे प्रकरण पंजिबद्ध करने की जानकारी मिली थी। बचाव साक्षी ने प्रदर्श डी-1 के रूप में न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 ग्वालियर श्री संजीव कुमार पालीवाल के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 16683/10 की दिनांक 17/12/2013 की आदेश पत्रिका की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि अपने साक्ष्य के समर्थन में पेश की है। जिसके अवलोकन से सूर्यप्रकाश भदौरिया का ग्वालियर में आपराधिक मामला उक्त न्यायालय में साक्ष्य स्तर पर घटना दिनांक को विचाराधीन होना, एक साक्षी का कथन होना और फिर प्रकरण 20/01/2014 के लिए नियत होना प्रकट होता है। आदेश पत्रिका में समय का कोई उल्लेख नहीं है। प्र0डी0-1 से इस बात की तो समुचित रूप से पुष्टि होती है कि बचाव साक्षी सूर्यप्रकाश उक्त दिनांक को ग्वालियर पेशी को गया था और लौटकर स्कोर्पियो गाडी से आया क्योंकि स्कोर्पियो गाडी उसकी बतायी गयी है, किंतु आरोपीगण साथ में थे या नहीं थे इसका प्र0डी0-1 से प्रमाण नहीं मिलता है यदि बचाव साक्षी के मुताबिक साथ में होना माना जाये तो उससे इस बात की तो पुष्टि होती है कि गिरीश कवरेती द्वारा पुलिस बल की सहायता से स्कोर्पियो की चेकिंग की गयी और आरोपियों को पकड़ा गया, किंतु बचाव साक्षी पूरी कार्यवाही के दौरान साथ में ना होना बताता है। इसलिए उसके अभिसाक्ष्य से इस बात का खण्डन नहीं माना जा सकता कि आरोपियों से आग्नेय शस्त्र नहीं मिले।

18. बचाव साक्षी के मुताबिक बालिस्टर जिसकी स्कोर्पियो गाडी थी, वह उसका रिश्तेदार है चन्द्रप्रकाशसिंह भदौरिया उसका सगा भाई है, लल्ला उर्फ सोबरनसिंह भदौरिया उसके परिवार का है। ऐसे में आरोपीगण से बचाव साक्षी की हितबद्धता होना स्पष्ट होता है और बचाव साक्षी आरोपियों को अपने साथ किस उद्देश्य से ग्वालियर ले गया था यह उसने स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में बचाव साक्षी के अभिसाक्ष्य से आरोपीगण के बचाव के आधार को बल नहीं मिलता है बल्कि वाहन चेकिंग की ही पुष्टि होती है और अ0सा0-3, अ0सा0-5, अ0सा0-7 व अ0सा0-9 के अभिसाक्ष्य में आरोपीगण की चेकिंग करने पर उन पर अवैध आग्नेय शस्त्र मिले इस बात की स्पष्ट, अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य आयी है। इसलिए बचाव साक्षी-1 के अभिसाक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है कि मामला झूठा बनाया गया है, बल्कि जिस स्थान और समय पर जब्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही होना अ0सा0-3, अ0सा0-5, अ0सा0-7,



अ0सा0-9 के अभिसाक्ष्य मुताबिक बताया गया है, उस समय व स्थान पर आरोपीगण की विद्यमानता स्थापित होती है।

19. बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षियों पर किए गए प्रतिपरीक्षण में यह आधार भी लिया गया कि घटना के पूर्व विधानसभा के चुनाव में मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से ओ0पी0एस0 भदौरिया एवं मुकेश चौधरी प्रत्याशी रहे थे। आरोपीगण ने कांग्रेस प्रत्याशी ओ0पी0एस0 भदौरिया का समर्थन किया था तथा थाना प्रभारी गिरीश कवरेती के द्वारा मुकेश चौधरी के कहने पर झूठा मामला जब आरोपीगण सूर्यप्रकाशसिंह भदौरिया की तारीख करा कर लौट रहे थे तो थाने के सामने उनकी गाड़ी अकारण रोक कर झूठा मामला राजनीतिक दबाव के चलते बना दिया, जैसा कि गिरीश कवरेती (अ0सा0-9) के पैरा-22 में बचाव पक्ष की ओर से सुझाव देकर पूछा गया है, जिससे साक्षी ने अनभिज्ञता और इन्कारी की है। बचाव पक्ष की ओर से अ0सा0-9 के पैरा-22 में दिए गए सुझावों के बावत् सुझाव नहीं दिए। अन्य कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत अभिलेख पर नहीं है जिससे यह प्रथम दृष्टया ही प्रकट होता हो कि गिरीश कवरेती के द्वारा राजनैतिक प्रभाव के चलते मामला पंजिबद्ध किया गया हो। बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में अपराध पंजिबद्ध होने के पश्चात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कोई शिकायत की गयी हो ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए उक्त बचाव का आधार औपचारिक रूप से प्रतिरक्षा के आशय से लिया जाना ही परिलक्षित होता है, जिसका कोई विधिक महत्व नहीं है।

20. मौके की कार्यवाही के संबंध में सर्वप्रथम यदि लूट, डकैती की किसी योजना के अंतर्गत आरोपीगण का भागे गए व्यक्तियों के साथ मिलकर डाकूओं की टोली के रूप में सम्मिलित रहने और डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होने का जो आक्षेप है उसके संबंध में अवश्य अभिलेख पर सुदृढ़ साक्ष्य का अभाव प्रकट होता है, क्योंकि मुखबिर की जो सूचना थाना प्रभारी गिरीश कवरेती को मुखबिर ने थाने पर आकर व्यक्तिगत रूप से दी जैसा कि अ0सा0-9 के पैरा-10 में आया है। जिसे वह रोजनामचा सान्हा क्रमांक 660 पर अंकित करना भी बताता है, किंतु रोजनामचा सान्हा क्रमांक 660 को प्रकरण में पेश नहीं किया गया है और डकैती, पेट्रोलपंप लूटने की वर्तालाप का एक मात्र साक्षी संजू तोमर (अ0सा0-4) था, उसने भी समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) के अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से ऐसी बात नहीं आयी है कि लूट डकैती डालने की आरोपीगण की सूचना उसे बतायी गयी तथा आरक्षक मनोज शुक्ला (अ0सा0-5) के अभिसाक्ष्य में भी इस बारे में साक्ष्य नहीं आयी है। वह सूचना कुछ व्यक्तियों के द्वारा हथियार लिये होकर स्कोर्पियो गाड़ी से आने बावत् ही बताता है। ए0एस0आई0 सुरेश मिश्रा (अ0सा0-7) और निरीक्षक गिरीश कवरेती (अ0सा0-9) अवश्य अपने अभिसाक्ष्य में हाईवे के किसी पेट्रोलपंप पर लूट या डकैती की योजना बनाकर आरोपीगण का आना कहते हैं। यह बात पूछताछ में आरोपीगण के द्वारा बतायी जाना भी कहता है। किंतु इस संबंध में आरोपीगण का कोई ज्ञापन या कथन लेखबद्ध नहीं किया गया है तथा अ0सा0-7 और अ0सा0-9 के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य भी नहीं आया है कि आरोपीगण किस पेट्रोलपंप की लूट करने या डकैती डालने की योजना बनाकर आये थे, क्योंकि उस बारे में साक्ष्य का कोई संकलन नहीं किया गया है, ना ही पूछा गया है,

जैसा कि अ0सा0-9 के पैरा-20 में भी आया है और ए0एस0आई0 सुरेश मिश्रा अ0सा-7 के पैरा-17 एवं पैरा-18 मुताबिक जब स्कोर्पियो गाडी को रोक लिया गया और आरोपीगण को पकड़ा गया तो वह पीछे का गेट खोलकर भागे दो व्यक्तियों को पकड़ने के लिए दौड़ा था, जो पेट्रोल पंप के पीछे गलियों की तरफ से भाग गये थे। जिसे उसने 15-20 मिनट तक ढूँढा था, फिर लौटकर आया तब कवरेती दरोगा जी और पुलिस बल आरोपीगण को पकड़े हुए थे। इस 15-20 मिनट की अवधि के दौरान क्या कार्यवाही हुई इसकी उसे जानकारी नहीं है। ऐसे में उक्त साक्षी के समक्ष हाईवे पर किसी पेट्रोलपंप को लूटने की बात आरोपीगण के द्वारा गिरिश कवरेती दरोगाजी को बतायी गयी इसकी पुष्टि नहीं होती है।

21. उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य में यह साक्ष्य भी आयी है कि ग्वालियर भिण्ड हाईवे पर अनेक पेट्रोलपंप है और यह न्यायिक नोटिस की भी विषय है। किस पेट्रोलपंप को आरोपीगण लूटना चाह रहे थे इस बारे में साक्ष्य संकलन का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो दो व्यक्ति मौका पाकर भाग गए उनके बारे में भी साक्ष्य संकलित नहीं की गयी है, क्योंकि इस बारे में आरोपीगण से धारा 27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत ज्ञापन लेकर डिस्कवरी करके विवेचना की जाना चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। इसलिए डाकूओं की टोली के सदस्य के रूप में आरोपीगण का सम्मिलित होना और पकड़े गए अवैध हथियार डकैती के प्रयोजन से लेकर उनका एकत्रित होना अ0सा0-3, अ0सा0-5, अ0सा0-7 और अ0सा0-9 के अभिसाक्ष्य से नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में सुदृढ़ साक्ष्य का स्पष्ट अभाव है। इसलिए आरोपीगण भा0दा0वि0 की धारा 400 एवं 402 सहपठित धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के आरोपों में दोषसिद्ध नहीं ठहराये जा सकते हैं, क्योंकि उसके बावजूद विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव है जिससे वे आरोप संदिग्ध और युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं होता है।

22. फलतः आरोपीगण को धारा 400 भा0दा0वि0 सहपठित धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं धारा 402 भा0दा0वि0 सहपठित धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोपों से आरोपीगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

23. जहां तक आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 के उल्लंघन संबंधी आरोप धारा 25(1-ख)(क) का प्रश्न है, जिसके संबंध में अ0सा0-3, अ0सा0-5, अ0सा0-7 और अ0सा0-9 की स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर होना ऊपर विश्लेषित किया जा चुका है, क्योंकि आरोपीगण का मौके पर पकड़े जाना और उनसे कथानक मुताबिक आग्नेय शस्त्र, अन्य वस्तुओं सहित जब्त होने की स्पष्ट साक्ष्य आयी है जिसके संबंध में साक्षियों को इस आधार पर अविश्वसनीय माना जा सकता है। अ0सा0-3 ने पैरा-4 में घटनास्थल थाने से 100-150 मीटर दूर बताया, अ0सा0-5 ने पैरा-2 में 100-200 फल्लांग दूर बता दिया चूंकि फल्लांग शब्द टंकणी त्रुटि या मानवीय भूल से लेख या बताया जाना स्वभाविक है, क्योंकि एक फल्लांग की दूरी करीब 200 मीटर मानी जाती है इस हिसाब से 100-150 फल्लांग की दूरी तो किलोमीटर में आ जायेगी और किलोमीटर में दूरी होती तो साक्षी अ0सा0-5 वैसा बताता। इसलिए इस विसंगति को महत्व नहीं दिया जा

सकता है, ना ही इसके आधार पर अ0सा0-3 और अ0सा0-5 को अविश्वसनीय ठहराया जा सकता है। अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य में यह भी स्पष्ट रूप से आया है कि पुलिस बल में कुल 14-15 व्यक्ति थे, जिनकी मदद से आरोपीगण को पकड़ा गया था। ऐसे में कौन कहां तैनात हुआ किसने कहां से घेरा इस आशय की साक्ष्य न तो आपेक्षित होती है और ना ही आवश्यक है जिस पर बचाव पक्ष द्वारा काफी प्रतिपरीक्षण किया गया है जिससे साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर अविश्वास करने योग्य कोई तथ्य नहीं आया है।

24. उपरोक्त चारों अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य में यह भी आया है कि जहां वे तैनात थे वहां से कुछ दूर पहले आरोपीगण की स्कोर्पियो गाड़ी आती हुई दिखी जो पुलिस को देखकर वापिस होने लगी थी तो पुलिस बल ने तत्काल पहुंचकर पकड़ लिया था। इस बारे में भी कोई तात्त्विक विसंगति नहीं है क्योंकि दूरी में मामूली अंतर स्वभाविक है, जैसा कि अ0सा0-5 के पैरा-2 में गाड़ी को 50 कदम पहले रुकना कहा गया है। अ0सा0-7 भी पैरा-2 में ऐसा ही बताता है और अ0सा0-9 के मुताबिक करीब 20-25 मीटर की दूरी बतायी गयी है, जो स्वभाविक अंतर्विरोध है और वह अवैध हथियारों सहित आरोपीगण के पकड़े जाने के बिन्दु पर उनके साक्ष्य को खण्डित नहीं करता है।

25. आरोपीगण से जो आग्नेय शस्त्र पकड़े गए उनका लल्ला उर्फ सोबरनसिंह भदौरिया से 32 बोर की पिस्टल लोडेड और मेग्जीन में दो जिंदा कारतूस, चन्द्रप्रकाशसिंह भदौरिया से 32 बोर पिस्टल और दो जिंदा कारतूस पकड़े गए बालिस्टर जो कि स्कोर्पियो गाड़ी का चालक था, उस पर पिस्टल तो नहीं मिली लेकिन दो जिंदा कारतूस 32 बोर के उस पर भी मिले और तीनों साथ-साथ थे। जिनको रखने का आरोपीगण के पास कोई वैध शस्त्र लाइसेंस नहीं पाया गया। स्वीकृत तथ्य मुताबिक घटनास्थल जो प्र0पी0-11 में दर्शाया गया है वह थाना गोहद चौराहे अंतर्गत आता है और घटना दिनांक को उक्त स्थान एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 की धारा-3 के अंतर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिसूचित था इस बारे में कोई दो मत नहीं है।

26. अ0सा0-3 के पैरा-3 में सूचना मिलने का समय पहले 5:25 फिर 3:25 बजे बताया है, उससे कोई विसंगति नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि तुरंत ही सही समय साक्षी द्वारा बताया गया। चेकिंग के लिए सरकारी व प्रायवेट वाहनों से पुलिस बल के जाने की बात सभी साक्षियों के कथनों में आयी है। जैसे ही आरोपीगण की गाड़ी रुकी वैसे ही उसे घेर लिये जाने का भी साक्ष्य है। इसलिए स्कोर्पियो गाड़ी में से आरोपीगण के गेट खोलकर स्वयं उतरने से निर्दोषिता का संकेत नहीं मिलता है, क्योंकि जब वाहन को चारों तरफ से पुलिस बल द्वारा घेर लिया गया तब आरोपी समर्पण भाव से उतरे होंगे, यह उपधारित किया जा सकता है।

27. उपरोक्त चारों अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य में यह भी स्पष्ट रूप से आया है कि तलाशी दरोगाजी गिरीश कवरेती ने ली थी और अ0सा0-3 व अ0सा0-5 के मुताबिक वे आरोपीगण के पास ही खड़े रहे। गिरीश कवरेती के मुताबिक मौके पर ही उसने सुरक्षित स्थान पर बैठकर उसने लिखा पढ़ी की थी और उस समय आवागमन चालू था। पेट्रोल पंप आस-पास की दुकानें खुली थी।

उनके किसी व्यक्ति को साक्षी ना बनाये जाने को दुष्प्रभाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पुलिस बल व जनता के दो व्यक्ति साक्षी के रूप में पहले से ही वे साथ में लिये हुए थे। इसलिए पेट्रोलपंप के किसी कर्मचारी व आस-पास के दुकानदारों में से किसी को मौके की कार्यवाही में शामिल नहीं करने से भी अ0सा0-3, अ0सा0-5, अ0सा0-7 और अ0सा0-9 के अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उनके कथनों में मूल बिन्दुओं पर समानता है और तात्त्विक स्वरूप का कोई विरोधाभास उनके अभिसाक्ष्य में परिलक्षित नहीं होता है, जो उनके अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने योग्य हो। ऐसे में प्र0पी0-5 लगायत प्र0पी0-11 की कार्यवाही उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होती है।

28. उपरोक्त दूसरे अभियोजन साक्षी की अभिसाक्ष्य में यह बिन्दु भी आया है कि जब स्कोर्पियो गाडी को पकड़ा गया था, तब उसका मुंह भिण्ड की ओर था बचाव पक्ष मुताबिक भी स्कोर्पियो गाडी से भिण्ड की ओर अपने घर जाना बताया गया है। ऐसे में गाडी को हाथ देकर रोका गया या घेर कर रोका गया, या गाडी अपने आप रुकी यह बिन्दु गौंड हो जाता है, क्योंकि जैसे ही स्कोर्पियो गाडी ने मुड़ने का प्रयास किया, वैसे ही उसको घेर लिया था। अ0सा0-3, अ0सा0-5 एवं अ0सा0-7 मौके पर की गई जब्ती, गिरफ्तारी कार्यवाही के पंचसाक्षी अवश्य नहीं है, किंतु उनकी मौके पर प्रारंभ से उपस्थिति है। ऐसे में गिरीश कवरेती अ0सा0-9 का अभिसाक्ष्य जिसका कि अ0सा0-3, अ0सा0-5 तथा अ0सा-7 से समर्थन है वह विश्वनीय है और उसके आधार पर आरोपी लल्ला उर्फ सोबरन व चन्द्रप्रकाश से 32 बोर की एक-एक पिस्टल मेग्जीन में दो-दो जिंदा कारतूस मोबाइल फोन सहित जब्त किया गया तथा आरोपी बालिस्टर जो स्कोर्पियो गाडी चला रहा था उससे स्कोर्पियो गाडी क्रमांक एम0पी0-30 बी0सी0-0384 एवं दो जीवित कारतूस 32 बोर के बरामद किये जाने के संबंध में आयी साक्ष्य सुदृढ है और अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य में आया यह तथ्य कि लिखा पढी के लिए दरोगाजी ने दयारामगुप्ता के मकान से कुर्सी मंगायी थी और दयारामगुप्ता साक्षी नहीं है उससे कोई अंतर नहीं आता है। घटनास्थल के बारे में भी अ0सा0-9 ने प्रतिपरीक्षण में स्थिति स्पष्ट की है और घटनास्थल के बारे में कोई संदेह की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, उसका और भागे गए व्यक्तियों का पीछा नहीं करने का कोई भी लाभ बचावपक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है कि भागे हुए व्यक्ति कौन थे, क्योंकि बचाव पक्ष का ऐसा कोई आधार नहीं है कि जो लोग भाग गए वे ही आग्नेय शस्त्र गाडी में छोड़ गए हैं।

29. ए0एस0आई0 सुरेश मिश्रा अ0सा0-7 के द्वारा की गयी विवेचना में प्र0पी0-11 के नक्शामौका के अलावा साक्षियों के उनके बताये अनुसार कथन लेख बद्ध करना और प्र0पी0-12 एवं प्र0पी0-13 के रोजनामचा सान्हा की सत्य प्रतिलिपियां प्र0पी0-12-सी0 एवं प्र0पी0-13-सी के रूप में तैयार करना बताई है। यह भी स्पष्ट किया है कि घटना के समय थाना गोहद चोराहे पर कोई एच0सी0एम0 पदस्थ नहीं था तो मूल रोजनामचा सन्हा ए0एस0आई0 अशोकसिंह तोमर द्वारा लेख किया गया था और उनकी नकलें कर सत्यापित करके पेश किया है। ए0एस0आई0 तोमर का साक्ष्य ना होने के बारे में ऊपर लेख किया जा चुका है।



30. इस तरह से अभिलेख पर अभियोजन की उपलब्ध साक्ष्य से आरोपीगण से वगैर वैध अनुज्ञप्ति के जो आग्नेय शस्त्र जब्त होना प्रमाणित हुऐ है वे वैध और प्रभावी आर्म्स लाइसेंस के अभाव में आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 के उल्लंघन के अंतर्गत आता है वे चालू हालत में और जीवित थे या नहीं इस संबंध में विशेषज्ञ के साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
31. इस संबंध में अभियोजन की ओर से आर्म्स मोहरर सुरेश दुबे (अ0सा0-2) का अभियोजन की ओर से साक्ष्य कराया गया। जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 28/12/2013 को पुलिस लाइन भिण्ड में पदस्थ बताते हुए थाना गोहद चौराहे के अपराध क्रमांक 289/2013 में जब्तशुदा दो 32 बोर पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस सीलबंद अवस्था में जांच हेतु प्राप्त होने पर उनकी जांच करना बताया है। जिसमें दोनों 32 बोर की पिस्टलों का एक्शन चेक किया था। जो सही पाया गया था और दोनों पिस्टल चालू हालत में होकर उनसे फायर किया जा सकता था, तथा जो 6 कारतूस जांच हेतु आये थे उनकी पैदी पर के0एफ0 7.65 लिखा था जो जीवित होकर चालू हालत में थे और उनसे भी फायर किया जा सकता था। उसने जांच उपरांत प्र0पी0-2 की रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए जब्त शस्त्र आरक्षक मनोज शुक्ला द्वारा लाया जाना और जांच उपरांत उसी कपडे में शील्ड कर वापिस करना बताया है। यह भी कहा है कि पिस्टल को खाली चलाकर देखा था पिस्टलों के बेरल में रिंग बने थे या नहीं यह जांच उसने नहीं की, क्योंकि ऐसी जांच एफ0एस0एल0 सागर में होती है। उसने इस बात से इन्कार किया है कि उसने पिस्टलों और कारतूसों को नहीं देखा और दस्तावेजों के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की।
32. अ0सा0-2 के संबंध में अन्यथा कोई तर्क नहीं किया गया है, केवल यही तर्क किया है कि उक्त साक्षी ने पुलिस कर्मी होने से दस्तोवजों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की, पिस्टल और कारतूसों को नहीं देखा, जबकि विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि साक्षी ने स्पष्ट जांच रिपोर्ट तैयार की है और स्पष्ट साक्ष्य दी है, जिससे वह विश्वसनीय है।
33. आग्नेय शस्त्र की जांच के संबंध में अ0सा0-2 का स्पष्ट साक्ष्य आया है और प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ जिससे प्र0पी0-2 की जांच रिपोर्ट संदिग्ध मानी जा सके। प्र0पी0-2 की जांच रिपोर्ट अ0सा0-2 के द्वारा हस्तलेख में दी उसके द्वारा विधिवत जावक की है उस पर जावक क्रमांक 183/13 दिनांक 28/12/2013 अंकित है। जब्त पिस्टल और कारतूस वर्कबल पॉजीशन में होने बावत् जहां एक ओर अ0सा0-3 अ0सा0-5 अ0सा0-7 और अ0सा0-9 की स्पष्ट साक्ष्य आयी है जो साक्ष्य पुलिस कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने कारतूस जीवित और पिस्टल लोडेड हो कर चालू होने की साक्ष्य दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में **न्याय दृष्टांत हरनेक सिंह वि0 स्टेट (1999) 1- एस0सी0सी0 पेज 132** में यह प्रतिपादित किया है कि जब्तकर्ता पुलिस अधिकारी इस संबंध में साक्ष्य देने में सक्षम होता है कि पिस्टल और कारतूस वर्कबल है या नहीं, हर परिस्थिति में आर्म्स मुहरर की साक्ष्य होना आवश्यक नहीं है। न्याय दृष्टांत के मामले में जब्तकर्ता पुलिस अधिकारी ने पिस्टल और जब्त 25 कारतूस के संबंध में इस आशय की साक्ष्य दी थी कि

पिस्टल वर्कबल है और कारतूस जीवित है आर्म्स मुहर्रिर की साक्ष्य नहीं हुई थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सक्षम साक्ष्य माना गया था। हस्तगत मामले में तो अ०सा०-2 आर्म्स मुहर्रिर की हैसियत से साक्ष्य दे रहा है जो अ०सा०-9 की कार्यवाही की पुष्टि में सहायक है।

34. न्याय दृष्टांत जर्नेल सिंह वि० स्टेट ऑफ पंजाब ए 0आई०आर०-1999 सुप्रीम कोर्ट पेज 321 में यह प्रतिपादित है कि पुलिस अधिकारी जो जब हथियार जैसे हथियारों के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षित होता है उसकी साक्ष्य भी पर्याप्त होती है। ऐसी स्थिति में अ०सा०-2 की अभिसाक्ष्य पूर्ण विश्वसनीय श्रेणी की है। जिससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि प्र०पी०-8 लगायत प्र०पी०-10 जब्तीपत्रकों के माध्यम से आरोपीगण से जो आग्नेय शस्त्र दो पिस्टल और 6 कारतूस जब्त किये गये, वे पिस्टलें वर्कबल थीं और कारतूस जीवित थे, जिनका आयुद्ध के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसलिए जब्तशुदा दो पिस्टल, 6 कारतूस धारा-3 आयुद्ध अधिनियम 1959 के उल्लंघन की परिधि के अंतर्गत ही आता है।

35. आयुद्ध अधिनियम के उक्त अपराध के प्रमाण हेतु आयुद्ध अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की पूर्व स्वीकृति जिला दण्डाधिकारी की विधि में आपेक्षित है, इस संबंध में भी अभिलेख पर अभियोजन की ओर से आर्म्स क्लर्क योगेन्द्र सिंह कुशवाह (अ०सा०-1) को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि, वह दिनांक 20/01/2014 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। तब पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 8/2014 दिनांक 06/01/2014 द्वारा थाना गोहद चोराहा के अपराध क्रमांक 289/13 से संबंधित केस जायरी एवं सीलबंद आयुद्ध आरक्षक मनोज शुक्ला द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर जिला दण्डाधिकारी श्री एम० सिबी० चक्रवर्ती द्वारा आरोपीगण लल्ला उर्फ सोबरनसिंह के आधिपत्य से 32 बोर की एक पिस्टल व दो कारतूस, चन्द्रप्रकाशसिंह के आधिपत्य से 32 बोर की एक पिस्टल व दो कारतूस तथा आरोपी बालिस्टर सिंह के आधिपत्य से दो 32 बोर के कारतूस जीवित हालत में अवैध रूप से रखे पाये जाने के कारण अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र०पी०-1 प्रदान की गयी थी। जिस पर साक्षी ने ए से ए भाग पर और उक्त जिला दण्डाधिकारी के द्वारा बी० से बी० भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। यह भी स्पष्ट कहा है कि शस्त्रों को जिला दण्डाधिकारी के समक्ष खोला गया था। लेकिन किसने खोला था, यह याद नहीं। प्र०पी०-1 उसके द्वारा कम्प्यूटर से टाइप कराया गया था, जो जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर होकर उसके पास आया था, तब शस्त्र एवं कारतूस उसे सीलबंद अवस्था में जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त हुये थे। गलत अभियोजन स्वीकृति दिये जाने से साक्षी ने इन्कार किया है।

36. इस संबंध में आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियोजन स्वीकृति विधिवत नहीं है, क्योंकि किसके द्वारा शस्त्र खोले गये, बंद किये गये इस बारे में अ०सा०-1 को जानकारी नहीं है और अ०सा०-1 ने स्वयं शस्त्र नहीं देखे, इसलिए अभियोजन स्वीकृति को संदिग्ध माना जाये। जबकि विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है कि अ०सा०-1 ने अभियोजन स्वीकृति को अपने साक्ष्य से विधि सम्मत तरीके से प्रमाणित किया है।

37. अभियोजन चलाने की स्वीकृति के संबंध में आयुद्ध अधिनियम की धारा-39 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिला दण्डाधिकारी या जिले का अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी या ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार विशेष रूप से सशक्त करे, वह अभियोजन चलाने की स्वीकृति आर्म्स रूल्स 1962 के नियम 2 (एफ) (2) के तहत प्रदान कर सकता है। न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम0पी0 वि0 जियालाल आई0एल0आर0 (2009) एम0पी0 पेज 2487 में अभियोजन स्वीकृति के संबंध में यह मार्गदर्शन दिया है कि जिला दण्डाधिकारी पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अभियोजन स्वीकृति प्रदान करता है। जिससे उसका कार्य सद्भावी होना उपधारित होता है। अभियोजन स्वीकृति के समय आयुद्धों का जिला दण्डाधिकारी द्वारा परीक्षण कराया जाना आवश्यक नहीं है, जैसा कि न्याय दृष्टांत गुरुदेवसिंह उर्फ गोगा वि0 स्टेट ऑफ एम0पी0 आई0एल0आर0 (2011) एम0पी0 पेज 2053 में मार्गदर्शन दिया है। जबकि हस्तगत मामले में तो अ0सा0-1 के मुताबिक जिला दण्डाधिकारी के समक्ष आयुद्ध पेश किये गये थे, खोले गये थे और प्र0पी0-1 का आदेश उसे जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर होकर प्राप्त हुआ था। इससे यही आशय निकलता है कि आरोपीगण के विरुद्ध उक्त विचाराधीन अपराध में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधि सम्मत तरीके से प्रदान की और उसमें न्यायिक विवेक का उपयोग भी किया है। ऐसी स्थिति में अ0सा0-1 की साक्ष्य भी पूर्ण विश्वसनीय श्रेणी की है।
38. इस तरह से उपरोक्त सामग्री, साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के मूल्यांकन से युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में अभियोजन सफल हुआ है कि जब दिनांक 17/12/2013 को दोपहर पश्चात करीब 4:10 बजे निगौतिया पेट्रोलपंप के सामने भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग जो कि थाना गोहद चौराहे क्षेत्र अंतर्गत आता है और डकैती प्रभावित क्षेत्र था, वहां आरोपीगण अपने आधिपत्य व संज्ञान में अवैध आग्नेय शस्त्र 32 बोर की दो पिस्टलें व 6 जीवित कारतूस प्र0पी0-8 लगायत प्र0पी0-10 के अनुसार वगैर वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति के रखे हुए पाये गये। जिससे उनका कृत्य आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 25 (1-ख)(क) सहपठित धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के एक्ट 1981 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। फलतः आरोपियों को धारा 25 (1-ख)(क) सहपठित धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के एक्ट के तहत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
39. आरोपीगण 21 वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा साक्ष्य में भी उनके पूर्वतन आपराधिक रिकार्ड होना बताया गया है। अवैध आग्नेय शस्त्रों को रखना, डकैती प्रभावित क्षेत्र में गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि अनेक बार अवैध शस्त्रों से और भी अनेक गंभीर तरीके की घटनायें की जाती है। ऐसे में आरोपीगण की दोषसिद्धि उक्त अपराध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों के तहत लाभ पाने की पत्रता नहीं रखता है। अतः उन्हें दोषसिद्ध अपराध में दण्डाज्ञा पर सुनने के लिए निर्णय को स्थगित किया जाता है।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश (डकैती)

गोहद जिला भिण्ड

**—::— दण्डाज्ञा —::—**

40. दण्डाज्ञा के प्रश्न पर आरोपीगण एवं ए0जी0पी0 को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर चिंतन, मनन किया गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आरोपीगण ग्रहस्थ व्यक्ति हैं, उनको राजतैनिक दवाब के चलते फंसाया गया है। उनके विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है इसलिये उन्हें केवल अर्थदण्ड से या चेतावनी देकर छोड़ दिया जावे। क्योंकि प्रकरण में वर्ष 2014 से वे सामना कर रहे हैं तथा वे न्यायिक निरोध में भी रह चुके हैं इसलिये न्यायिक निरोध की अवधि से दण्डित कर छोड़ दिया जावे। जबकि विद्वान ए0जी0पी0 का तर्क है कि अपराध डकैती विशेष अधिनियम का होकर साधारण स्वरूप का नहीं है और प्रकरण को विलंबित होने में आरोपीगण का भी आचरण रहा है इसलिये कड़ा दण्ड दिया जावे। क्योंकि हथियारों को अवैध रूप से रखने का प्रचलन भिण्ड जिले में अधिक है जिससे इस तरह की प्रवृत्ति पर लगाम लग सके।

41. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपराध की परिस्थितियों के मुताबिक आरोपीगण बिना अनुज्ञप्ति के डकैती प्रभावित क्षेत्र में रखे हुए पकड़ा गया था तथा कारतूस भी पकड़े गये। भिण्ड जिले में डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 इसी कारण प्रभावी किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में अवैध हथियारों को रखना, हथियारों का दुरुपयोग करना फैशन की तरह है इसलिये ऐसे अपराधों को साधारण श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि यह सही है कि अभिलेख पर आरोपीगण के पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण न होने से उनके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है किन्तु जिस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया गया है उसमें चेतावनी देकर या केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर नहीं छोड़ा जा सकता है। क्योंकि दोषसिद्ध अपराध में कारावास एवं अर्थदण्ड दोनों सजाएँ आवश्यक हैं। और अवैध रूप से हथियारों को धारण करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से यथोचित दण्डादेश दिया जाना आवश्यक पाया जाता है। फलतः वाद विचार आरोपीगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

आरोपी का नाम	धारा	कारावास	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम की दशा में कारावास
लला उर्फ सोबरन	धारा-25(1-ख)(क) आयुध सहपठित धारा 11/13 एम0पी0 डी0व्ही0पी0के0 एक्ट	चार वर्ष सश्रम	3000/- रूपये	तीन माह साधारण



चंद्रप्रकाश सिंह भदौरिया	धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम सहपटित 11/13 डी0व्ही0पी0के0 एक्ट	आयुध धारा चार वर्ष सश्रम कारावास	3000/- रुपये	तीन माह साधारण
बालिस्टर सिंह राजावत	धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम सहपटित 11/13 डी0व्ही0पी0के0 एक्ट	आयुध धारा चार वर्ष सश्रम कारावास	3000/- रुपये	तीन माह साधारण

42. आरोपीगण का सजा वारण्ट तैयार किया जावे जिनके साथ न्यायिक निरोध में काटी गई अवधि समायोजित किये जाने बाबत धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।

43. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

44. प्रकरण में जप्तशुदा स्कॉर्पियो गाडी वाहन पूर्व से ही पंजीकृत स्वामी सतीशसिंह की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात भारमुक्त किया जावे। जप्तशुदा तीनों मोबाइल के पंजीकृत स्वामियों द्वारा उसे सुपुर्दगी पर चाहे जाने संबंधी कार्यवाही नहीं की गयी है, इसलिये तीनों मोबाइल अपील अवधि पश्चात नीलाम की जाकर उनकी राशि कोषालय में जमा की जावे तथा 32 बोर की दो पिस्टल एवं 32 बोर के 06 कारतूस तथा दो मैग्जीन विधिवत निराकरण के लिये डी0एम0 भिण्ड के कार्यालय में जमा किया जावे।

45. आरोपीगण को निर्णय की नकल निःशुल्क प्रदान की जावे। तथा एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

दिनांक: 30 जुलाई 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश (डकैती)  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश (डकैती)  
गोहद जिला भिण्ड